

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-4
संख्या- 1042/xxviii-4-2016-22/2008
देहरादून: दिनांक 24 दिसम्बर 2016

कार्यालय-झाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1383/ xxviii-4-2013- 22/2008, दिनांक 11-11-2013 द्वारा राज्य स्तर पर "राज्य क्वालिटी एश्युरेन्स कमेटी" का गठन किया गया था। तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा माह अक्टूबर, 2014 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार शासनादेश संख्या-1042/xxviii-4-2016-22/2008 दिनांक 08-08-2014 तथा शासनादेश संख्या-1449/xxviii-4-2014-22/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्युरेन्स कमेटी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- प्रश्नगत प्रकरण में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आप्रेशनल गाईड लाईन के अनुसार राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्युरेन्स कमेटी के सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि करते हुए प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार क्वालिटी एश्युरेन्स कमेटी का गठन किया जाता है:-

1	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष (पदेन)
2	मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	उप-अध्यक्ष (पदेन)
3	महानिदेशक / निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड (संयुक्त)	सदस्य (पदेन)
4	अपर / संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य सचिव
5	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।	सदस्य
6	निदेशक / प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून।	सदस्य
7	वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, दून महिला चिकित्सालय, देहरादून।	सदस्य
8	वरिष्ठ वाईसेक्टोमी शल्यक, दून चिकित्सालय, देहरादून।	सदस्य
9	वरिष्ठ ऐनेस्थेटिस्ट, दून चिकित्सालय, देहरादून।	सदस्य
10	वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, दून चिकित्सालय, देहरादून।	सदस्य
11	राज्य नर्सिंग सलाहकार / रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा संकाय।	सदस्य
12	डा0 संदीप आहूजा, जन कल्याण चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान, 4-ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून (एकीडीटेड निजी संस्थान से)	सदस्य
13	विधि सलाहकार राज्य पी0सी0एण्ड पी0एन0टी0पी0, देहरादून, उत्तराखण्ड।	सदस्य
14	FOGSI/IMA/IAP/IAPSM द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य

358

16.	राजकीय संस्थान से एक चिकित्सीय विशेषज्ञ	सदस्य
17.	उच्चपद स्तरीय चिकित्सालय से नामित एक चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-चिकित्सालय से नामित प्रभारी	सदस्य
19.	राज्य नोडल अधिकारी, अरबन हेल्थ, उत्तराखण्ड	सदस्य

उपरोक्त शासनादेश संख्या--1449, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

Om Prakash
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या - 142(I)/xxviii-4/2016-22/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 6- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
- 7- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 9- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल/नैनीताल।
- 10- समस्त पदाधिकारीगण राज्य स्तर पर गठित क्वालिटी एश्यूरेन्स कमेटी, द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिवार, उत्तराखण्ड।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव